

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अर्न्तजनपदीय मादक पदार्थ तस्करी गैंग के 02 सदस्य को मय 31 किलो 100 ग्राम नाजायज डोडा छिलका(अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 2 लाख 50 हजार रुपये) व परिवहन मे प्रयुक्त चार पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया

शासन द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के निर्देश के क्रम मे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ श्री डा0 ओ0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी विसौली श्री पवन कुमार के नेतृत्व मे आज दिनांक 25-11-2022 को प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज की संयुक्त टीम द्वारा अर्न्तजनपदीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों 1.संतोष शर्मा पुत्र ओमपाल शर्मा निवासी ग्राम वनकोटा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ हाल पता शिवधाम कालोनी कस्बा व थाना वजीरगंज जिला बदायूँ

2.कुलजीत सिंह पुत्र हरवंश सिंह निवासी ग्राम सबदलपुर रेरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को मय 31 किलो 100 ग्राम नाजायज डोडा छिलका एवं परिवहन मे प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट रंग सफेद न0 UP 24BL 2954 के साथ गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है । जिसके सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर मु0अ0स0 426/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर उपरोक्त अभि0गण को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया गया ।

घटनाक्रम थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग के दौरान मंगला माता मन्दिर आंवला रोड के पास से मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर नाका बन्दी कर मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को माल खरीदकर ले जाते समय परिवहन मे प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट रंग सफेद न0 UP 24BL 2954 व मादक पदार्थ 31 किलो 100 ग्राम डोडा छिलका नाजायज जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 2 लाख 50 हजार रुपये है के साथ पकडा गया है जिसके सम्बन्ध मे थाना वजीरगंज पर मु0अ0स0 426/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण

1.संतोष शर्मा पुत्र ओमपाल शर्मा निवासी ग्राम वनकोटा थाना वजीरगंज जिला बदायूँ हाल पता शिवधाम कालोनी कस्बा व थाना वजीरगंज जिला बदायूँ

2.कुलजीत सिंह पुत्र हरवंश सिंह निवासी ग्राम सबदलपुर रेरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण

1.उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण के पास से नाजायज 31 किलो 100 ग्राम डोडा छिलका जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 2 लाख 50 हजार रुपये रुपये है ।

2.घटना मे परिवहन मे प्रयुक्त एक कार स्विफ्ट रंग सफेद न0 UP 24BL 2954 बरामद

गिरफ्तारी स्थल

मंगला माता मन्दिर आंवला रोड के पास दिनांक 25.11.2022

अपराध करने का तरीका

पकडे गये दोनो अभियुक्त मे से अभियुक्त कुलजीत सिंह का ढाबा बिजनौर मे हाईवे पर स्थित है । डोडा छिलका खरीदकर इसके द्वारा ढाबे पर रूकने वाले ट्रक ड्राईवरो को उपलब्ध कराया जाता है । कुलजीत सिंह खुद ट्रक चालक व मालिक है । साथ मे पकडा गया व्यक्ति संतोष शर्मा के माध्यम से ही डोडा छिलका एक व्यक्ति द्वारा आंवला के पास उपलब्ध कराया गया था पूर्व मे भी संतोष शर्मा थाना चन्दौसी जनपद सम्भल से एनडीपीएस मे जेल जा चुका है । सप्लायर व्यक्ति के नाम व श्रोत की जानकारी की तस्दीक कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

मु0अ0स0 426/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।